दूरभाष Telephone-2223251
2225766, 2224812

फैक्स / Fax 0612-2225977
तार Tele Gram ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना।
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

संख्या No. पे०-2-
दिनांक Dated 05-2008

सेवा में

कोषागार पदाधिकारी
पटना सचिवालय कोषागार,
सिंचाई भवन, पटना।

विषयः-माननीय न्यायाधीश श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय,से0नि0 लोकायुक्त के पेंशन के संबंध में।
(धारक पी0पी0ओ0 सं0 707230100057)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4889 दिनांक 7.5.08 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में सूचित करना है कि माननीय न्यायाधीश श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा लोकायुक्त के पद पर 8.6.2001 से 7.6.2006 तक कुल 5 वर्षो तक की गई सेवा के लिए बिहार लोकायुक्त पेंशन नियमावली 12 के प्रावधान के अनुसार निम्न पेंशन देय हैः-

नियम

12(1)(क) पेंशन के लिए सेवा के प्रथम तीन पूरित वर्षो के लिए रू0 15000=15000

12(1)(ख) पेंशन के लिए सेवा के हरेक परवर्ती पूरित वर्ष के लिए प्रतिवर्ष रू0 3000=3000 X 2= रू06000

12(2) पेंशन के लिए सेवा के हरेक पूरित वर्ष के लिए ही लोकायुक्त जो इस भाग के अन्तशेष मूल पेंशन का पात्र है प्रतिवर्ष रू0 2220/- अतिरिक्त पेंशन- 2220 X 5=11100

कुल पेंशन रू0 32100/- प्रतिवर्ष

अनुरोध है कि उक्त राशि रू0 32100/- प्रतिवर्ष(रू0 बतीस हजार एक सौ मात्र) का भुगतान दिनांक 8.6.2006 से माननीय न्यायाधीश श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय को इस पत्र को प्राधिकार मानते हुए किया जाय। उक्त पेंशन पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई राहत अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-
वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना।

ज्ञापांक पेन--2- 335 दिनांक- 29.05.08

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. विशेष कार्य पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना।
2. भारतीय न्यायाधीश नर्वदेश्वर पाण्डेय, भू0पू0 लोकायुक्त 9/8 कस्तुरबा पथ, बोरिंग रोड, पटना-800013

ह०/- 29/5/2008

(17) ज्ञापांक

2869/लोक.
01/4/08

(55)

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 25·3·2008

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलम्बन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लम्बित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत ।

राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और निम्नांकित कोटियों के सरकारी सेवकों की प्रोन्नति के मामले में, उक्त संकल्प में विहित प्रक्रियानुसार, विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा जायेगा :–

28 MAR 2008

(क) निलम्बित सरकारी सेवक,

(ख) सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिन पर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो । {आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जाएगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोगपत्र (चार्जशीट) समर्पित किया गया हो ।} बाद में, संकल्प संख्या 9270 दिनांक 17.12.03 के तहत लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–10(1) (क) के तहत निर्गत नोटिस को भी उपर्युक्त कोटि में खंड (घ) के रूप में जोड़ा गया । इस क्रम में, संकल्प संख्या 7979 दिनांक 06.11.03 के तहत यह निर्णय लिया गया कि लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी ।

2. राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न भी विचाराधीन था कि लोकायुक्त की अनुशंसा जिसमें बहुधा दिया जाने वाला दण्ड भी उल्लेखित रहता है, के आलोक में किसी सरकारी सेवक को दण्डित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है या नहीं । इस पर विधि विभाग/महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया । उनसे प्राप्त परामर्श के आलोक में संकल्प संख्या 3406 दिनांक 08.10.07 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में पदमुक्त करने की सीधी कार्रवाई अधिनियम की धारा 2 (j) (iv) से आच्छादित लोक सेवकों के संबंध में ही की जा सकती है । सरकारी सेवकों के संदर्भ में लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में लघु दण्ड देने की स्थिति हो या वृहद दण्ड देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा । उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के आलोक में लघु

दण्ड के लिए कार्रवाई को प्रोन्नति पर कुप्रभावी होने की श्रेणी में नहीं रखा गया है । अतः यदि लघु दण्ड के लिए लोकायुक्त की अनुशंसा होती है तो यह संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के दायरे में नहीं आता है । यदि वृहत दंड की अनुशंसा होती है तो विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया अपनानी होगी। चूँकि विभागीय कार्यवाही का प्रोन्नति पर कुप्रभाव एवं उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष के मुहरबन्द लिफाफा में बन्द रखने का प्रावधान संकल्प संख्या–7457 दिनांक–11.09.2002 में पूर्व से ही है; अतः लोकायुक्त अधिनियम के तहत निर्गत नोटिस, जो लोकयुक्त द्वारा जाँच का प्रारम्भिक स्टेज है, का प्रोन्नति पर कुप्रभाव पड़ने एवं उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष के मुहदबंद लिफाफे में बन्द रखने के प्रावधान के रहने से विरोधाभास की स्थिति हो गयी है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–10(1)(क) के तहत निर्गत नोटिस की स्थिति का प्रोन्नति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफा में नहीं रखा जायेगा। साथ ही, उपर्युक्त आलोक में, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी को अद्यतन करते रहने की भी आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार इस विभाग का संकल्प सं0 7979 दिनांक–06.11.2003 तुरत के प्रभाव से, उपर्युक्त हद तक, संशोधित समझा जायेगा और संकल्प सं0–9270, दिनांक–17.12.2003 तुरत के प्रभाव से पूर्णतः विलोपित समझा जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरंत लागू होगा । इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त कार्यालय / बिहार लोक सेवा आयोग / महानिदेशक, (प्रशिक्षण), बिपार्ड, वाल्मी कॉम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक–3/एम.1–49/2001का 1607 /पटना–15, दिनांक 25-3-2007

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 सौ मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध करायें ।

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक–3/एम.1–49/2001का 1607 /पटना–15, दिनांक 25-3-2007

प्रतिलिपि :–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक (प्रशिक्षण) बिपार्ड, वाल्मी कॉम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव ।

D:\Dhar Personnal\Sec 3\Vijay\Sankalp doc

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 23-11-2007.

संख्या-8/लोक-5-21/06-का0-11637 /बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार, बिहार लोकायुक्त यात्रा-भत्ता नियमावली, 1974 के नियम-7 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

1-अधिसूचना संख्या-10792 दिनांक 2-12-2005 से बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता नियमावली, 1974 में निरूपित प्रावधान में निम्न आंशिक उपांतरित कर प्रतिस्थापित किया जाय-

"7 नियम-5 में किसी बात के होने पर भी लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, अपनी पत्नी और अपने परिवार के आश्रितों के लिए वर्ष में दो बार अपनी छुट्टी के दौरान भारत वर्ष में किसी स्थान॥अपने गृह राज्य में स्थायी निवास के भ्रमण सहित॥ के लिए रेल के वातानुकूलित सर्वोच्च श्रेणी के डिब्बे अथवा वायुयान से इकानोमी क्लास में अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार होंगे ।"

2-यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

॥आमिर सुबहानी॥
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8/लोक-5-21/06-का0-11637 पटना-15, दिनांक 23-11-2007.

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

॥गोकुल किशोर दत्त॥
सरकार के उप सचिव ।

-2-

ज्ञाप संख्या-8/लोक-5-21/06-क0-11637, पटना-15, दिनांक 23-11-200

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक

हेतु प्रेषित ।

(गोकुल किशोर द
सरकार के उप सचि

ज्ञाप संख्या-8/लोक-5-21/06-क0-11637, पटना-15, दिनांक 23-11-200

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय
सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या-8/लोक-5-21/06-क0-11637 , पटना-15, दिनांक 23-11-2007.

प्रतिलिपि-बिहार राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/लोकायुक्त
के उप सचिव, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नयी दिल्ली/महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या-8/लोक-5-21/06-क0-11637 , पटना-15, दिनांक 23-11-2007.

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, पटना को दिनांक 6-11-
के मद सं0-4 द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में

(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के उप सचिव ।

नरेश/

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2007

संख्या- 8/लोक- 21/ 2006 का0 11638, अधिसूचना संख्या दिनांक

का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में प्राधिकृत ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(गोकुल किशोर दत्त)
सरकार के उप सचिव ।

Government of Bihar
Department of Personnel & Administrative Reforms.

...

Notification

No. 8/LOK - 21/2006 Ka 11637 Patna-15, dated November, 2007

In exercise of powers conferred by section- 20 of Bihar Lokayukta Act 1973, the Governor of Bihar is pleased to make following amendments in Rule 7 of the Bihar Lokayukta Travelling Allowance Rule, 1974.

AMENDMINT

1. Provisions enunciated vide notification no. 10792, dated 02.12.2005 in Rule 7 of "The Bihar Lokayukta Travelling Allowance Rule, 1974" be partially modified and substituted as follows -

" 7. Notwithstanding anything contained in Rule-5, a Person appointed as Lokayukta shall be entitled to leave travel concession for himself, his wife and dependent members of his family for visiting any place in India (including native place in his home state) during his leave, twice a year, in the highest class air-conditioned compartment of Rail or by air in economy class."

2. This notification shall come into force with effect from the date of issue.

By order of Governor,

(Amir Subhani)
Secretary to Govt.

Memo no. 8/LOK-21/2006 Ka 11637 Patna-15, dated 23 November, 07

Copy forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for information and publication in extra ordinary issue of Bihar Gazette. He is requested to send two hundred copies of the Gazette of this Department.

(Gokul Kishor Dutt)
Deputy Secretary to Government

Memo no. 8/LOK-21/2006 Ka 11637 Patna-15, dated 23 November, 20

Copy forwarded to A.G. Bihar, Patna for information and necessary action.

Deputy Secretary to Government.

Memo No. 8/LOK- 21/2006 Ka 11637 Patna-15, dated 23 November, 2007

Copy forwarded to all Department/ Heads of all departments/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrate for information.

Deputy Secretary to Government.

Memo No. 8/LOK- 21/2006 Ka 11637 Patna-15, dated 23 Novermber, 2007

Copy forwarded to Governor's Secretariat/ Chief Minister's Secretariat/ Deputy Secretary to Lokayukta/ Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/ Registar General, Patna High Court, Patna for information and necessary action.

Deputy Secretary to Government.

Memo No. 8/LOK-21/2006 Ka 11637 Patna-15, dated 23 November, 2007

Copy forwarded for information to the Joint Secretary, Cabinet Secretariat Department, Patna in compliance to the decision taken by the State Cabinet in its meeting on 06.11.2007 as item no. 4.

Deputy Secretary to Govern

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषयः– लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में।

राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में किसी सरकारी सेवक को दण्डित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है या नहीं। साथ ही, यदि विभागीय कार्यवाही की जाती है तो आरोपित पदाधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम--43(बी) के तहत निर्धारित चार वर्ष के अन्दर कार्रवाई की शर्त्त ऐसे मामलों में लागू होती है अथवा नहीं।

2. लोकायुक्त की अनुशंसा, जिसमें बहुधा दिया जानेवाला दण्ड भी उल्लेखित रहता है, के बाद विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता के संदर्भ में विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया है। विद्वान महाधिवक्ता/विधि विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया हैः–

"The main purpose of the Lokayukta under the Bihar Lokayukta Act, 1973 is to carry out investigation against public servant and make its recommendation for action to be taken by the State Govt. against the individual public servant. In case the Lokayukta, after investigation of the complaint finds that public servant has committed any act of indiscipline or other such acts which makes him liable for being punished, it shall forward its recommendation to the competent authority for action to be taken.

Under Section 5 A of Bihar Lokayukta Act as inserted by Act 13 of 1988, in case the Lokayukta recommends imposition of penalty of removal from office of public servant falling within section 2 (j) (IV) of the Act, the Govt. may take action for removal of such public servant without any further enquiry. Thus the removal of only those public servants who are covered by section 2 (j) (IV) can be made without any further enquiry; but Section 2 (j) (IV) is confined to a particular type of public servants who are as follows-

"Every head or his Deputy by whatever designation he may be known, of the local authority, the corporation, the Government Company or a registered society

54

referred to in sub-clause (iii) or any other institution or authority, subsidised by the State Government."

So far as other public servants (those not covered by section 2 (j) (iv) of the Lokayukta Act) are concerned they cannot be removed or their services terminated without following the due procedure prescribed for their punishment. A government servant therefore cannot be removed or dismissed from service without charges framed, enquiry conducted and punishment awarded in accordance with rules prescribed with regard to their service."

3. उपर्युक्त परामर्श के आलोक में विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि –

(i) लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में पद से हटाने की सीधी कार्रवाई धारा 2 (j) (iv) से संबंधित मामलों में ही की जा सकती है।

(ii) सरकारी सेवकों के संदर्भ में लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में भारत संविधान के अनुच्छेद 311 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निर्धारित लघु दण्ड एवं वृहत दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित होता है। अतः लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में लघु दंड देने की स्थिति हो या वृहत दंड देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) लोकायुक्त के जाँचाधीन किन्तु सेवानिवृत्ति के मामलों में चूँकि लोकायुक्त के स्तर पर पूर्व में ही कार्रवाई शुरु कर दी गई होती है, अतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत निर्धारित चार साल की शर्त्त लागू नहीं होगी। इस संबंध में इस विभाग के पत्रांक–3448 दिनांक 02.12.2006 के तहत स्पष्ट किया जा चुका है कि 4 वर्ष की गणना उस तिथि से की जायेगी जब विभाग को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जानकारी

(53)

होती है। अतः लोकायुक्त के जाँचाधीन मामलों में 4 साल की शर्त्त लागू नहीं होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या– 3/एम0– 192/2006 का0– 3406 पटना, दिनांक 8-10-07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या– 3/एम0– 192/2006 का0– 3406 पटना, दिनांक 8/10/07

प्रतिलिपि– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/ लोकायुक्त के सचिव/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, वाल्मी, पटना/ राज्य अभिलेखागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आमिर सुबहानी) 5.10.'07
सरकार के सचिव।

पत्र सं0-3/एम0-129/2006-का0-1051

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

डायरी सं0 3764/2006
दिनांक 4/7/07
लोकायुक्त का कार्यालय, पटना

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 30.3.2007

विषयः लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में माननीय लोकायुक्त की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया के संबंध में ।

प्रसंगः पथ निर्माण विभाग की सांचेका सं0 निग/सारा-1(लोका)-1024/2003 में दिनांक 27.5.2006 को मॉगा गया परामर्श ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पथ निर्माण विभाग की उपर्युक्त सांचिका में निम्नांकित बिन्दु पर परामर्श मॉगा गया था :-

'धारा-12(3) के अन्तर्गत लोकायुक्त की अनुशंसा जिसमें बहुधा दिया जानेवाला दंड भी उल्लिखित रहता है, विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता को प्रवारित (Preclude) करती है या नहीं" ।

2. इस विषय पर विधि विभाग की राय ली गयी है । विद्वान महाधिवक्ता/विधि विभाग द्वारा दिए गये परामर्श की प्रतिलिपि समुचित करवाई हेतु इसके साथ संलग्न की जाती है ।

विश्वासभाजन

ह0 —

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 3/एम0-129/2006-का0-1051 पटना, दिनांक 30.3.2007

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सहित) लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0 —

सरकार के उप सचिव

51

ज्ञापांक : 3/एम0–129/2006–का0–1051 /पटना, दिनांक 30.3.2007

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सहित) सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/महानिदेशक बिहार प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान(बिपार्ड) बाल्मी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 3/एम0–129/2006–का0–1051 /पटना, दिनांक 30.3.2007

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सहित) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 5/विविध–22–01/07– 963(5) /स्वा0, पटना, दिनांक : 25/4/07

प्रतिलिपि : सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(डा0 सुरेन्द्र प्रसाद)
उप निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

U.O.O. 1215 of 2006

(67)

50

Advocate General:

Opinion has been sought mainly on the question whether there is necessity of following the procedure for punishment of a Public Servant even after the recommendation of the Lokayukta if the same is accepted. In this respect the scope of Section 5 A of the Bihar Lokayukta Act, as inserted by Act 13 of 1988 is also required to be considered.

The main purpose of the Lokayukta under the Bihar Lokayukta Act, 1973 is to carry out investigation against public servant and make its recommendation for action to be taken by the State Govt. against the individual public servant. In case the Lokayukta, after investigation of the complaint finds that public servant has committed any act of indiscipline or other such acts which makes him liable for being punished, it shall forward its recommendation to the competent authority for action to be taken.

Under Section 5 A of Bihar Lokayukta Act as inserted by Act 13 of 1988, in case the Lokayukta recommends imposition of penalty of removal from office of public servant falling within Section 2 (j) (IV) of the Act, the Govt. may take action for removal of such public servant without any further enquiry. Thus the removal of only those public servants who are covered by Section 2 (j) (IV) can be made without any further enquiry; but Section 2(j) (IV) is confined to a particular type of public servants who are as follows :-

> "Every head or his Deputy by whatever designation he may be known, of the local authority, the Corporation, the Government Company or a registered society referred to in sub-Clause (iii) or any other institution or authority, subsidised by the State Government."

So far as other public servants (those not covered by Section 2 (j) (iv) of the Lokayukta Act) are concerned they cannot be removed or their services terminated without following the due procedure prescribed for their punishment. A Government servant therefore cannot be removed or dismissed from service without charges framed, enquiry conducted and punishment awarded in accordance with rules prescribed with regard to their service.

Sd/- 11.12.06
(Ray Sivaji Nath)
A.A.G.-4

Forwarded to L.R.
Sd/-3.2.07
(P.K. Shahi)
Advocate General, Bihar

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कृपया
30/ – 06.2.07
विधि सचिव

पत्र सं0–3/एम0–129/2006–का0–

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में माननीय लोकायुक्त की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया के संबंध में ।

प्रसंगः– पथ निर्माण विभाग की संचिका सं0 निग/सारा–1 (लोका)–1024/2003 में दिनांक 27.5.2006 को मांगा गया परामर्श ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पथ निर्माण विभाग की उपर्युक्त संचिका में निम्नांकित बिन्दु पर परामर्श मांगा गया थाः–

" धारा 12 (3) के अन्तर्गत लोकायुक्त की अनुशंसा जिसमें बहुधा दिया जाने वाला दंड भी उल्लिखित रहता है, विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता को प्रवारित (Preclude) करती है या नहीं " ।

2. इस विषय पर विधि विभाग की राय ली गयी है । विद्वान महाधिवक्ता/विधि विभाग द्वारा दिए गये परामर्श की प्रतिलिपि समुचित कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न की जाती है ।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–129/2006–का0– 1051 /पटना, दिनांक– 30.3.07

प्रतिलिपि–(अनुलग्नक सहित) लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/3/07

सरकार के उप सचिव

U.O.O. 1215 of 2006

Advocate General:

Opinion has been sought mainly on the question whether there is necessity of following the procedure for punishment of a Public Servant even after the recommendation of the Lokayukta if the same is accepted. In this respect the scope of Section 5 A of the Bihar Lokayukta Act, as inserted by Act 13 of 1988 is also required to be considered.

The main purpose of the Lokayukta under the Bihar Lokayukta Act, 1973 is to carry out investigation against public servant and make its recommendation for action to be taken by the State Govt. against the individual public servant. In case the Lokayukta, after investigation of the complaint finds that public servant has committed any act of indiscipline or other such acts which makes him liable for being punished, it shall forward its recommendation to the competent authority for action to be taken.

Under Section 5 A of Bihar Lokayukta Act as inserted by Act 13 of 1988, in case the Lokayukta recommends imposition of penalty of removal from office of public servant falling within Section 2 (j) (IV) of the Act, the Govt. may take action for removal of such public servant without any further enquiry. Thus the removal of only those public servants who are covered by Section 2 (j) (IV) can be made without any further enquiry; but Section 2(j) (IV) is confined to a particular type of public servants who are as follows :-

"Every head or his Deputy by whatever designation he may be known, of the local authority, the Corporation, the Government Company or a registered society referred to in sub-Clause (iii) or any other institution or authority, subsidised by the State Government."

So far as other public servants (those not covered by Section 2 (j) (iv) of the Lokayukta Act) are concerned they cannot be removed or their services terminated without following the due procedure prescribed for their punishment. A Government servant therefore cannot be removed or dismissed from service without charges framed, enquiry conducted and punishment awarded in accordance with rules prescribed with regard to their service.

Sd/- 11.12.06
(Ray Sivaji Nath)
A.A.G.-4

Forwarded to L.R.
Sd/-3.2.07
(P.K. Shahi)
Advocate General, Bihar

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कृपया
ह0/– 06.2.07
विधि सचिव

Sri V. B. Srivastava, SO

945/लोक०
दैनिक सं० 945/लोक०
दिनांक 27.2.07
लोकायुक्त का कार्यालय, पटना

fil 26/2

951
27/2/07

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15 दिनांक 9.2.07

संख्या–8/लोक 5–07/2005 का0 1472 / बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा –20 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम की उक्त धारा–20 की उप धारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्ते) नियमावली, 1974 में संशोधन करते हुए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. नाम एवं प्रारम्भ 1–(1) यह नियमावली बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी ।
   2. यह दिनांक 08.06.2001 से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) नियमावली, 1974 के नियम–12 के उप नियम (1) के खंड (क) एवं (ख) का प्रतिस्थापन 1–उक्त नियमावली के नियम–12 के उप नियम, (1) का खंड (क) एवं (ख) निम्नांकित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; यथा

   '' (क) पेंशन के लिये सेवा के प्रथम तीन पूरित वर्षो के लिये प्रति वर्ष रू. 15000/–(पन्द्रह हजार रूप्ये) की राशि देय होगी ; और

   (ख) तत्पश्चात् पेंशन के लिये सेवा के हरेक परवर्ती पूरित वर्ष के लिये प्रति वर्ष रू.3000/– (तीन हजार रूपये) की अतिरिक्त राशि देय होगी ।''

3. बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) नियमावली, 1974 के नियम–12 के उप नियम (2) का प्रतिस्थापन 1–उक्त नियमावली के नियम–12 के उप नियम (2) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   '' (2) पेंशन के लिये सेवा के हरेक पूरित वर्ष के लिए ही लोकायुक्त जो इस भाग के अन्तर्गत मूल पेंशन का पात्र है, प्रति वर्ष रू.2220/–(दो हजार दो सौ बीस रूपये) अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा ।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.2.07
सरकार के उप सचिव ।

............2

~~79~~

ज्ञापांक–8/लोक 5–07/21005का0 1472 /पटना–17, दिनांक 9·2·07

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की 200 प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

9.2.07

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/लोक 5–07/21005का0 1472 /पटना–17, दिनांक 9·2·07

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9.2.07

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 9.2.07

संख्या–8/लोक–5–07/2005–का0– 1473 /अधिसूचना सं0– 1472 दिनांक 9.2.07
का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद एतद् द्वारा बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव

Government of Bihar
Department of Personnel and Administrative Reforms

NOTIFICATION

Patna-15, Dated- 9.2.07

No.8/Lok-5-07/2005-Ka- 1472 / In exercise of powers conferred by subsection (1) of Section-20 of the Bihar Lokayukta Act, 1973. The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules under clause (b) of sub section (2) of section 20 of the said Act, for amendment in Bihar Lokayukta (Service conditions) Rules, 1974.

1. **Name & commencement**.- (1) These Rules may be called as the Bihar Lokayukta (Service conditions) (Amendment) Rules, 2006.

   (2) It shall come into force with effect from 8.6.2001.

2. Substitution of clauses (a) & (b) of sub rule (1) of rule 12 of the Bihar Lokayukta (Service conditions) Rules, 1974.-

   The clauses (a) and (b) of sub rule (1) of rule 12 of the said Rules shall be substituted by the following:-

   (a) The pension for first three completed years shall be payable @ Rs. 15000/- (Rupees fifteen thousand) per annum; and

   (b) Thereafter, for each succeeding completed year of the service an additional amount of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) shall be payable for pension."

3. Substitution of Sub rule (2) of rule 12 of the Bihar Lokayukta (Service conditions) Rules, 1974- The sub rule (2) of the rule 12 of the said rules shall be substituted by the following:-

   "(2) The Lokayukta, who is qualified for basic pension under this part, shall be entitled for additional pension Rs. 2220/- (Rupees two thousand two hundred and twenty) per annum for each completed year of the service."

By order of the Governor of Bihar,

9.2.07

Deputy Secretary to Government

912/लोक.
दैनिक सं0
दिनांक 26/2/07
लोकायुक्त का कार्यालय, पटना

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15 दिनांक 9.2.07

संख्या–8/लोक 5–07/2005 का0 1472 / बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा–20 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम की उक्त धारा–20 की उप धारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्ते) नियमावली, 1974 में संशोधन करते हुए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. नाम एवं प्रारम्भ 1–(1) यह नियमावली बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी ।

   2. यह दिनांक 08.06.2001 से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) नियमावली, 1974 के नियम–12 के उप नियम (1) के खंड (क) एवं (ख) का प्रतिस्थापन 1–उक्त नियमावली के नियम–12 के उप नियम, (1) का खंड (क) एवं (ख) निम्नांकित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; यथा

   '' (क) पेंशन के लिये सेवा के प्रथम तीन पूरित वर्षो के लिये प्रति वर्ष रू. 15000/–(पन्द्रह हजार रूप्ये) की राशि देय होगी ; और

   (ख) तत्पश्चात् पेंशन के लिये सेवा के हरेक परवर्ती पूरित वर्ष के लिये प्रति वर्ष रू.3000/– (तीन हजार रूपये) की अतिरिक्त राशि देय होगी ।''

3. बिहार लोकायुक्त (सेवाशर्त्ते) नियमावली, 1974 के नियम–12 के उप नियम (2) का प्रतिस्थापन 1–उक्त नियमावली के नियम–12 के उप नियम (2) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   '' (2) पेंशन के लिये सेवा के हरेक पूरित वर्ष के लिए ही लोकायुक्त जो इस भाग के अन्तर्गत मूल पेंशन का पात्र है, प्रति वर्ष रू.2220/–(दो हजार दो सौ बीस रूपये) अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा ।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.2.07

सरकार के उप सचिव ।

77

ज्ञापांक–8/लोक 5–07/21005का0 1472 /पटना–17, दिनांक 9·2·07

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की 200 प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–8/लोक 5–07/21005का0 1472 /पटना–17, दिनांक 9·2·07

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 9.2.07

संख्या–8 / लोक–5–07 / 2005–का0– 1473 /अधिसूचना सं0– 1472 दिनांक 9.2.07
का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद एतद् द्वारा बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव

56

Annexure – One

Government of Bihar
Department of Personnel and Administrative Reforms

NOTIFICATION

Patna-15, Dated- 9.2.07

No.8/Lok-5-07/2005-Ka- 1472 / In exercise of powers conferred by subsection (1) of Section-20 of the Bihar Lokayukta Act, 1973. The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules under clause (b) of sub section (2) of section 20 of the said Act, for amendment in Bihar Lokayukta (Service conditions) Rules, 1974.

1. Name & commencement.- (1) These Rules may be called as the Bihar Lokayukta (Service conditions) (Amendment) Rules, 2006.

(2) It shall come into force with effect from 8.6.2001.

2. Substitution of clauses (a) & (b) of sub rule (1) of rule 12 of the Bihar Lokayukta (Service conditions) Rules, 1974.-

The clauses (a) and (b) of sub rule (1) of rule 12 of the said Rules shall be substituted by the following:-

(a) The pension for first three completed years shall be payable @ Rs. 15000/- (Rupees fifteen thousand) per annum; and

(b) Thereafter, for each succeeding completed year of the service an additional amount of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) shall be payable for pension."

3. Substitution of Sub rule (2) of rule 12 of the Bihar Lokayukta (Service conditions) Rules, 1974- The sub rule (2) of the rule 12 of the said rules shall be substituted by the following:-

"(2) The Lokayukta, who is qualified for basic pension under this part, shall be entitled for additional pension Rs. 2220/- (Rupees two thousand two hundred and twenty) per annum for each completed year of the service."

By order of the Governor of Bihar.

9.2.07

Deputy Secretary to Government

दैनिक सं0 3687/लोक०
दिनांक 10-12-05
लोकायुक्त का कार्यालय, पटना

Sri V. P. Srivastava, SO

लोकायुक्त, बिहार, पटना 3221 09.12.05

अनुलग्नक- 1

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या–8/लोक5–05/05का0 10112 पटना–15, दिनांक– 9-12-05

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के नियम–20 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता नियमावली, 1974 में निम्नांकित संशोधन करते हैः–

संशोधन

1. उक्त नियमावली में नियम 7 एवं 7 क कमशः निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :–

"7. नियम 5 में किसी बात के होने पर भी, अपने गृह राज्य से बिहार राज्य में लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, अपनी पत्नी और अपने परिवार के आश्रितों के लिए, दो वर्षो के एक खंड में एक बार अपनी छुट्टी के दौरान अपने गृह राज्य में स्थायी निवास पर जाने के लिए रेल के वातानुकूलित सर्वोच्च श्रेणी के डिब्बे अथवा वायुयान से इकानोमी क्लास में यात्रा कर सकने के हकदार होंगे ।

7 क. लोकायुक्त द्वारा अपनी पत्नी और अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए दो वर्ष के एक खंड में एकबार अपनी छुट्टी के दौरान भारतवर्ष में किसी स्थान का भ्रमण करने के लिए रेल के वातानुकूलित सर्वोच्च श्रेणी के डिब्बे अथवा वायुयान से इकोनोमी क्लास में यात्रा कर सकने के हकदार होंगे ।"

2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–8/लोक5–05/05का0 10112 पटना, दिनांक– 9-12-05

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र को 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–8/लोक5–05/05का0 10112 पटना, दिनांक– 9-12-05

प्रतिलिपिः– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

(25)

41)

लोकायुक्त

ज्ञापांक–8 / लोक5–05 / 05का0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–8 / लोक5–05 / 05का0 10192 पटना, 7 दिनांक–7-12-05

प्रतिलिपिः– बिहार राज्यपाल सचिवालय / मुख्य मंत्री सचिवालय / लोकायुक्त के उप सचिव, बिहार, पटना / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नयी दिल्ली / निबंधक, उच्च न्यायालय बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

2868
दैनिक सं० 23.10.03
दिनांक
लोकायुक्त का कार्यालय, पटना

(19)

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

अ धि सू च ना

पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

संख्या-10/जि0-08/2002-का0-- 384 --/बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा-20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता नियमावली 1974 (समय-समय यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है:-

बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2003 (1)

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारूप:-यह नियमावली बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2003 होगी ।

(2) यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गम की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(3) नियमावली 1974 के नियम-3 का संशोधन:-

बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता नियमावली 1974 के नियम 3(जी) (1) (1/) में प्रत्युक्त अंक रू0 250 के स्थान पर रू0 600 एवं रू0 400 के स्थान पर रू0 1000 प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिदिन परिवहन भत्ता रू0 20 के स्थान पर रू0 50 देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एस0आर0 अस्थाना)
सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/2002-का0-- 384 --/पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

(एस0आर0 अस्थाना)
सचिव ।

Under Sec (Pramod Kumar)

Guard file pl. One copy to LRAyukt

20/10/2003

5-6 21/10/03

-2-

(18)

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/2002-का0-384/पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0आर0 अस्थाना)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/2002-का0-385/पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला के जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0आर0 अस्थाना)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/2002-का0-386/पटना-15, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि बिहार राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के उप सचिव, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0आर0 अस्थाना)
सरकार के सचिव ।

नरेश/

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

अ धि सू च ना

संख्या-10/जि0-08/2002-का0---385---/ बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा -20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता नियमावली 1974 (समय-समय यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है:-

बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता (संशोधन नियमावली, 2003 (।)

(।) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-यह नियमावली बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2003 होगी ।

(।।) यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गम की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(।।।) नियमावली 1974 के नियम-3 का संशोधन:-बिहार लोकायुक्त यात्रा भत्ता नियमावली 1974 के नियम 3 (ग) (।।) (।V) में प्रयुक्त अंक रु0 250 के स्थान पर रु0 600 एवं रु0 400 के स्थान पर रु0 1000 प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिदिन परिवहन भत्ता रु0 20 के स्थान पर रु0 50 देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सचिव ।

ज्ञाप सं0-10/जि0-08/2002-का0---385---/पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस राजपत्र की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/02-का0---385---/पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/2002-का0---385---/पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला के जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-10/जि0-08/02-का0---385---/पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 2003.

प्रतिलिपि बिहार राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के उप सचिव, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2002

बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001

विषय-सूची ।

प्रस्तावना ।

धाराएं ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिये अध्यादेश।

प्रस्तावना।—चूंकि, बिहार राज्य विधान-मंडल सत्र में नहीं है, और

चूंकि, बिहार के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन करना उनके लिये आवश्यक हो गया है;

इसलिये, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह अध्यादेश बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक 8 जून, 2001 के प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन।—उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "9,000 (नौ हजार) रुपये प्रतिमाह की दर में वेतन दिया जायेगा", शब्द "जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह की दर से अनुमान्य हो अथवा समय-समय पर अनुमान्य होगा" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1) बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (बिहार अध्यादेश सं० 5, 2001) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अध्यादेश उस दिन प्रवृत्त था जिसदिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

पटना :
दिनांक 3 नवम्बर 2001

(ह०) विनोद चन्द्र पाण्डेय
बिहार-राज्यपाल।

बि० स० मु० (विधि) 82—850—4—16-2-2002—बो० बी० लाल।

भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है ।

पटना :
दिनांक 3 नवम्बर 2001

(ह०) विनोद चन्द्र पाण्डेय,
बिहार-राज्यपाल ।

सत्य-प्रति

(बीरेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव, बिहार सरकार,
विधि विभाग ।

60

(78)

GOVERNMENT OF BIHAR,

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS.

(O & M SECTION)

PATNA-15, DATED 12 JUNE, 95

NOTIFICATION

G.S.R.- 3/LOK (Estt.) 57/94 KA 44 - आ० रा० / In exercise of the powers conferred by Section 20 of Bihar Lokayukta Act 1973, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Bihar Lokayukta Travelling Allowance Rules, 1974 in the following manner :-

AMENDMENT

1. These rules may be called the Bihar Lokayukt T.A. (Amendment) Rules, 1995.

2. They shall come into force from the date of the Central Government amendment 1991 in "The High Court Judge (Travelling Allowance) Rules, 1956" as well as notification in the Gazette of India which ever is later.

3. In rules 3 (G) (ii) (iii) Rs. 100/- per day shall be substituted by Rs. 250/- per day and Rupees 100/- per day for Journey out side the State shall be Substituted by Rs. 400/- Per Day.

By order of the Governer of Bihar,

(Devashish Gupta)
Secretary to Government.

Memo No.-3/LOK (Estt.) 57/94 P. 44 - आ० रा० /Patna-15, Dated

Copy forwarded to the Superintendent, Govt. Press, Gulzarbag, Patna for information and Publication in the extra-ordinary, Bihar, Gazette. It is requested that two hundred copies of the same may please be sent to this Department.

Secretary to Government.

Memo No.-3/LOK (Estt.) 57/94 P. 44 - आ० रा० /Patna, Dated 12 J...

Copies forwarded to the A.G. Bihar, Hinoo, Ranchi/Patna for information & necessary action.

Secretary to Government.

K.T.O. 2/...........

Memo No.-3/LOK (Estt.) 57/94 P. KA________/Patna, Dated ________

Copies forwarded to All Department/All Heads of the Department/All Divisional Commissioners/All District Magistrates for information.

Secretaty to Government.

Memo No.-3/LOK (Estt.) 57/94P. KA________/Patna, Dated ________

Copies forwarded to the Governor Secretariat/The Chief Minister Secretariat, Bihar, Patna/Dy. Secretary of Lokayukt Office Bihar, Patna/Residential Commissioner of the Govt. of Bihar, Bihar Bhawan, New Delhi/Registrar, Patna High Court, Patna for information.

Secretary to Government.